**भारत निर्वाचन आयोग**

निर्वाचन सदन
अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

**सं. 437/बिहार-वि.स./2015** **दिनांकः- 01 नवम्बर, 2015**

**नोटिस**

यतः, आयोग की दिनांक 09 सितम्बर, 2015 की प्रेस प्रकाशनी संख्या ईसीआई/प्रेस नोट/53/2015 के द्वारा 09 सितम्बर, 2015 को आयोग द्वारा बिहार की विधान सभा के साधारण निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है और उक्त प्रेस प्रकाशनी के पैरा-25 के अनुसार उसी तारीख से आदर्श आचार संहिता के उपबंध लागू हो गए हैं; और

यतः, आदर्श आचार संहिता के पैरा 1 के उप पैरा (1), (2) और (3), अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंधित करता है कि असत्यापित आरोपों या विरूपण पर आधारित अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचा जाए ..., और

यतः, आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के दिनांक 31 अक्तूबर, 2015 के पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि आपने 29 अक्तूबर, 2015 को मधुबनी जिले के अंतर्गत बेनीपट्टी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन बैठक को संबोधित करते हुए निम्नलिखित वक्तव्य दिए हैं -

**......." प्लान बी इनका क्या है, एक हिन्दुस्तानी से दूसरे हिन्दुस्तानी को लड़ाओ। जहाँ भी जाते हैं, यू.पी. में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में जहां भी इनका चुनाव होता है, इनकी सेना जाती है वहां पर हिन्दू को मुसलमान से लड़ाते है "........; और**

यतः, प्रथमदृष्ट्या आयोग की यह राय है कि उपर्युक्त वक्तव्य देकर आपने आदर्श आचार संहिता के उक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया है;

यतः, अब, आयोग आपको एक अवसर देता है कि आप 4 नवम्बर, 2015 (बुधवार) को अपराहन 3:00 बजे तक या उससे पूर्व उक्त वक्तव्य देने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ऐसा न करने पर भारत निर्वाचन आयोग आपको और आगे सूचित किए बिना निर्णय ले लेगा।

**आदेश से,**

**(आर. के. श्रीवास्तव)**
**प्रधान सचिव**

**सेवा में,**
**श्री राहुल गांधी,**
**उपाध्यक्ष, इण्डियन नेशनल काँग्रेस**
**दिल्ली।**